न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
45/2025	03.04.2025	09.10.2025

अनवान

1. दुर्गाशंकर पुत्र भेरा जाति गमेती (भील) आयु वयस्क निवासी मानवाखेडा उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. कालु पुत्र जग्गु जाति भील आयु वयस्क निवासी मानवाखेडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर। (विलोपित)
2. कंचन कंवर पत्नि श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. पारस कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. मुन्ना कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. रोशन कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
6. विजु कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. शोभा कंवर पुत्री श्यामसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. दीपसिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. पृथ्वीसिंह पुत्र भवानी सिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री रतनलाल टांक — प्रार्थी
एकतरफा — अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुमानपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी खाता संख्या 78 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 375 रकबा 0.02 हैक्ट0, आराजी संख्या 376 रकबा 0.19 हैक्ट0, आराजी संख्या 377 रकबा 0.18 हैक्ट0, आराजी संख्या 378 रकबा 0.02 हैक्ट0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.41 हैक्ट0, कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडोसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1, 5 के विरूद्ध कार्यवाही नही किये जाने के निवेदन पर कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा गुमानपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी खाता संख्या 78 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 375 रकबा 0.02 हैक्ट0, आराजी संख्या 376 रकबा 0.19 हैक्ट0, आराजी संख्या 377 रकबा 0.18 हैक्ट0, आराजी संख्या 378 रकबा 0.02 हैक्ट0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.41 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला–चित्तौडगढ

(राजेश [illegible])
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन चित्तौडगढ